

11.01.2022

महावली मेश हुई। उच्चपदा अधिवक्ता  
उपास्थित। प्राची अधिवक्ता द्वारा मूल  
निगरानी प्रार्थना पत्र में राजीनामा मेश  
कर प्रार्थना-पत्र विद्रो किया गया है।  
अतः श्रमगण प्रार्थना-पत्र में आगे  
कोई कार्यवाही लेख नहीं रहती है।  
प्रकरण इसी स्तर पत्र ड्रॉप किया  
जाता है। प्रकरण नंबर से कम है।

जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा